

जाति/आय/आवासीय प्रमाण पत्र 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत प्राप्ति हेतु आवेदन का प्रपत्र  
सेवा में,

अंचल अधिकारी,

.....

.....

**विषय:-** 'तत्काल सेवा' के तहत ..... प्रमाण पत्र निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महाशय,

मैं (नाम) .....पिता/पति.....

ग्राम..... पो0.....मोहल्ला.....  
.....पंचायत/वार्ड.....मोबाईल सं. ....  
थाना..... प्रखण्ड..... अनुमंडल...  
..... जिला..... का निवासी हूँ । मुझे.....  
..... प्रमाण पत्र की आवश्यकता है।

2. (क) मैं पिछड़ा/अति पिछड़ा/अनु. जाति/जनजाति वर्ग के अन्तर्गत .  
.....जाति का सदस्य हूँ।

(ख) मैं उक्त पते पर ..... वर्षों से  
स्थायी/अस्थायी रूप से निवास कर रहा हूँ।

(ग) मेरी सभी स्त्रोतों से सकल वार्षिक आय.....  
..... है।

**(जो लागू न हो उसे काट दें)**

3. मेरे द्वारा आवेदन के साथ समुह 'क' तथा 'ख' में वर्णित वांछित एक-एक  
कागजात अथवा विहित प्रपत्र में कर्मचारी/पंचायत सेवक का प्रमाण-पत्र संलग्न कर  
दिया गया है, जिसे अनुलग्नक में चिन्हित कर दिया गया है।  
अतः मुझे उक्त प्रमाण पत्र 'तत्काल सेवा' के अन्तर्गत निर्गत किया जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वर्णित सभी सूचनाएँ सही हैं एवं इनके असत्य पाये  
जाने पर मैं कानूनी कार्रवाई/ दण्ड का भागीदार होऊंगा।

तिथि:

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान:

## समूह (क)

आवेदक के पहचान हेतु निम्न में से किसी एक की स्व-अभिप्राणित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1 बी.पी.एल.   | <input type="checkbox"/> |
| 2 राशन कार्ड  | <input type="checkbox"/> |
| 3 मतदाता पहचान-पत्र   | <input type="checkbox"/> |
| 4 मतदाता सूची   | <input type="checkbox"/> |
| 5 जॉब कार्ड (मनरेगा)  | <input type="checkbox"/> |
| 6 विकलांगता प्रमाण-पत्र   | <input type="checkbox"/> |
| 7 पासपोर्ट  | <input type="checkbox"/> |
| 8 ड्राइविंग लाइसेन्स।   | <input type="checkbox"/> |
| 9 आयकर पहचान-पत्र (PAN)।  | <input type="checkbox"/> |
| 10 राज्य/केन्द्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान-पत्र। | <input type="checkbox"/> |
| 11 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/डाकघरों द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पासबुक 31.08.2010 तक खोला गया खाता।   | <input type="checkbox"/> |
| 12 फोटोयुक्त स्वतंत्रता सेनानी पहचान-पत्र।  | <input type="checkbox"/> |
| 13 सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी फोटोयुक्त अ.जा./अ.ज.जा./अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण-पत्र।  | <input type="checkbox"/> |
| 14 सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण-पत्र।   | <input type="checkbox"/> |
| 15 फोटोयुक्त शास्त्र लाइसेंस।   | <input type="checkbox"/> |
| 16 फोटोयुक्त सम्पत्ति दस्तावेज जैसे- पट्टा, रजिस्ट्रीकृत विलेख इत्यादि ।  | <input type="checkbox"/> |
| 17 फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक/ पेंशन अदायगी आदेश/ भूतपूर्व सैनिक की विधवा/आश्रित प्रमाण-पत्र /वृद्धावस्था पेंशन आदेश / विधवा पेंशन आदेश।               | <input type="checkbox"/> |
| 18 फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड।  | <input type="checkbox"/> |
| 19 मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी विद्यार्थी फोटो पहचान पत्र।  | <input type="checkbox"/> |

## समूह (ख)

सेवा विशेष की प्राप्ति हेतु निम्न में से किसी एक की स्व-अभिप्राणित छाया प्रति संलग्न किया जाना अनिवार्य है:-

### जाति प्रमाण-पत्र

- (i) खतियान की छाया प्रति
- (ii) आवेदक या उनके परिजन\* के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र।

### आवासीय प्रमाण-पत्र

- (i) अद्यतन राजस्व रसीद की छाया प्रति।
- (ii) भूमिहीनों को आवंटित भूमि का पर्चा की छाया प्रति।
- (iii) राजस्व अभिलेख यथा- खतियान/ दान-पत्र/ भूमि संबंधी कागजात की छाया प्रति।
- (iv) अद्यतन विद्युत विपत्र की छाया प्रति
- (v) अद्यतन दूरभाष विपत्र की छाया प्रति
- (vi) आवेदक या उनके परिजन\* के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र
- (vii) अद्यतन होल्डिंग टैक्स भुगतान का रसीद

### आय प्रमाण-पत्र-

- (i) अद्यतन वेतन पर्ची की छाया प्रति।
- (ii) अद्यतन आयकर भुगतान के साक्ष्य की छाया प्रति।
- (iii) अद्यतन पेंशन पर्ची की छाया प्रति।
- (iv) आवेदक या उनके परिजन\* के नाम पर पूर्व में निर्गत प्रमाण-पत्र

**नोट:-** यदि आवेदक के पास समूह 'क' एवं 'ख' से संबंधित कागजात उपलब्ध नहीं हो तो वैकल्पिक स्थिति में स्थानीय हल्का कर्मचारी/ पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने पर उक्त तीनों प्रमाण-पत्र 'तत्काल सेवा' के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

\* 'परिजन' से अभिमत है आवेदक के माता, पिता, पति, पत्नी, भाई, अविवाहित बहन, पुत्र एवं अविवाहित पुत्री।

## 'तत्काल सेवा' हेतु आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन का जाँच प्रतिवेदन

प्रखण्ड-सह-अंचल कार्यालय का नाम:-.....

अधियाचित सेवा का नाम:- .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती (आवेदक का नाम).....  
..... पिता/पति श्री .....  
ग्राम/मोहल्ला..... वार्ड/पंचायत.....  
थाना..... अंचल..... द्वारा 'तत्काल सेवा'  
अंतर्गत ..... प्रमाण-पत्र प्राप्ति हेतु समर्पित आवेदन-पत्र की जाँच की गई<sup>1</sup>  
पाया गया कि:-

(क) आवेदक पिछड़ा/अति पिछड़ा/अनु. जाति/जनजाति वर्ग के अन्तर्गत .....  
..... जाति का सदस्य है।

(ख) आवेदन में वर्णित पते पर आवेदक ..... वर्षों से  
स्थायी/अस्थायी रूप से निवास कर रहा है।

(ग) आवेदक की सभी स्त्रीतों से सकल वार्षिक आय.....रूपये  
है।

अतः मेरे द्वारा इन्हें .....प्रमाण-पत्र निर्गत करने की  
अनुशंसा की जाती है।

हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक  
का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम  
हल्का/पंचायत का नाम.....

## 'तत्काल सेवा' हेतु निर्धारित प्रक्रिया

1. 'तत्काल सेवा' के तहत जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की नियत समय-सीमा दो कार्य दिवस होगी।
2. आवेदक द्वारा विहित प्रपत्र में आवेदन जमा करने पर पूर्ववत् पावती दी जाएगी एवं पावती पर 'तत्काल सेवा' अंकित रहेगा।
3. इन सेवाओं के लिए भी आवेदक से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
4. इन सेवाओं के तत्काल सेवा के आवेदन के साथ आवेदक को अपने पहचान के साक्ष्य के रूप में समूह-'क' एवं सेवा विशेष की प्राप्ति हेतु समूह-'ख' में वर्णित कागजातों में से एक-एक अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करना होगा (सूची संलग्न)।

यदि आवेदक के पास समूह-'क' एवं 'ख' से सम्बन्धित कागजात उपलब्ध नहीं हों तो वैकल्पिक स्थिति में स्थानीय हल्का कर्मचारी/पंचायत सेवक द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत जाँच प्रतिवेदन समर्पित करने पर उक्त तीनों प्रमाण पत्रों को 'तत्काल सेवा' के तहत उपलब्ध कराया जाएगा।

5. 'तत्काल सेवा' के तहत निर्गत सभी प्रमाण पत्रों में "तत्काल सेवा" अंकित होगा एवं इसके अधोभाग पर यह अंकित रहेगा कि "इस प्रमाण पत्र को उपयोग में लाने से पूर्व इसकी बैधता की जांच सामान्य प्रशासन विभाग की वेबसाईट [www.gad.bih.nic.in](http://www.gad.bih.nic.in) पर प्रमाण पत्र का आई.डी. नम्बर डालकर अवश्य कर लिया जाए।"
6. जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत करने की व्यवस्था सामान्य समानंतर रूप से पूर्ववत् बनी रहेगी।
7. अपील एवं दण्ड के प्रावधान भी पूर्ववत् रहेंगे।